पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.02.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० डा० दाउद अली, स०वि०स० श्री अशोक कुमार, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री जितेन्द्र कुमार, स०वि०स०	"पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज, खजुरिया, बरौली, गोपालगंज के प्राचार्य, सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा फर्जी भुगतान कर सरकारी अनुदान की राशि का दुर्विनियोग एवं गबन किया गया है, जिसके संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ने अपने ज्ञापांक-2131, दिनांक-05.11.2012 द्वारा अभिलेखों में छेड़-छाड़ कर अयोग्य व्यक्तियों को लाभ दिलाने, योग्य व्यक्तियों को लाभ से वंचित करने, अनुदान की राशि का दुरूपयोग करने की जांच हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था, जिसकी जांच अबतक नहीं की गयी । जिला पदाधिकारी, गोपालगंज ने भी इसकी जांच कराई थी और अपने पत्रांक-1019, दिनांक-20.05.2011 द्वारा जांच प्रतिवेदन निदेशक, उच्च शिक्षा को भेजा था, जिसमें उक्त कॉलेज के अध्यक्ष, सचिव एवं प्राचार्य पर सरकारी अनुदान की राशि के वितरण में अनियमितता के आरोप में कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी, परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी । अतएव उक्त मामले का अनुसंधान निगरानी विभाग से कराकर कॉलेज के अध्यक्ष, सचिव एवं प्राचार्य पर कार्रवाई करने तथा गबन की राशि की वसूली हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

1	2	3	4
2.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार, स०वि०स० श्री जावेद इकबाल अंसारी, स०वि०स० डा० फैयाज अहमद, स०वि०स० श्री वृज किशोर सिंह, स०वि०स० श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय , स०वि०स०	"पटना स्थित गर्दनीबाग रोड नं०-40 के सटे प्राचीनतम धीराचक मुहल्ला में 25000 से ज्यादा लोग निवासित हैं, जिसके आवागमन का रास्ता रोड नं०-40, 41, 42 एवं 43 है । इस मुहल्ले में पुराने सड़क के आधार पर पी०आर०डी०ए० द्वारा नक्शा स्वीकृत किया गया जिसपर पांच-छ: बहुमंजिला एपार्टमेंट निर्मित है एवं सैकड़ों परिवार आवासित हैं । इन सड़कों के बीच निर्मित सरकारी आवासों को तोड़ कर राजस्व विभाग के पत्रांक-558, दिनांक-17.04.2013 द्वारा 25 रूपया प्रति एकड़ टोकन वार्षिक लगान के भुगतान पर बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति को बंदोबस्त कर दिया गया है । रोड नं०-40 के किनारे सटे पश्चिम से चहारदिवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे मुहल्लेवासी का आवागमन अवरूद्ध हो जायेगा । कोई रास्ता ही नहीं रहने के कारण अगलगी-भूकम्प आदि आकस्मिक आपदा के समय फायर ब्रिगेड या अन्य सुविधा नहीं दी जा सकेगी, जिससे सारी जनता आक्रोशित है । अत: पूर्व से निर्मित सारे रास्तों को बन्द नहीं किए जाने के संबंध में हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/14- 397 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.2.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-02/14- 397 / वि०स०, पटना, दिनांक- 15 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

15.2.14

(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

15/2/14